न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 138/2024

ऑनलाईन नम्बर 2024/292

निर्णय दिनांकः 27.08.2024

फतेहचन्द पुत्र हुलासराम जाति नाई निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर हाल सरदारशहर जिला चूरू।

—प्रार्थी—

बनाम

1.स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी निम्नानुसार निवेदन करता है कि प्रार्थी मूलतः मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ का निवासी है। प्रार्थी गांधी विधा मन्दिर सरदारशहर में नौकरी करता है, इसलिये सरदारशहर में रहता है, प्रार्थी का मकान मोमासर में है, प्रार्थी मोमासर का मतदाता है। प्रार्थी का सही नाम फतेहचन्द पुत्र हुलासराम जाति नाई है। इसी नाम से प्रार्थी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, इन्कम टैक्स कार्ड आदि समस्त दस्तावेज में प्रार्थी का नाम फतेहचन्द पुत्र हुलासराम जाति नाई ही दर्ज है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1028 तादादी 7.52 हैक्टेयर रोही मोमासर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा दर्ज है। इस खेत की खातेदारी में अप्रार्थी के महातत कर्मचारियो ने इन्तकाल दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम फतेहचन्द पुत्र हुलासराम की जगह फतराम पुत्र हुलासमल दर्ज कर दिया। खसरा नम्बर 1028 के पुराने खसरा नम्बर 765 तादादी 29 बीघा 15 बिस्वा है । इन्काल संख्या 443 के जरिये इस खेत की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज हुई है। जिसमें पटवारी हल्का ने प्रार्थी का नाम फतेहचन्द पुत्र हुलासराम की जगह फताराम पुत्र हुलासराम दर्ज कर दिया, जो गलत है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का खेत रोही मोमासर खसरा नम्बर 1038 तादादी 2.4800 हैक्टेयर जिसके पुराने खसरा नम्बर 775, खसरा नम्बर 1039 तादादी 1.06 हैक्टेयर जिसके पुराने खसरा नम्बर 776 है, खसरा नम्बर 1040 तादादी 3.07 हैक्टेयर जिसके पुराने खसरा नम्बर 777 है, खसरा नम्बर 1042 तादादी 1.20 हैक्टेयर जिसके पुराने खसरा नम्बर 779 है, खसरा नम्बर 1044 तादादी 1.52 हैक्टेयर, जिसके पुराने खसरा नम्बर 781 है। खसरा नम्बर 1041 तादादी 1.42 हैक्टेयर है जिसके पुराने खसरा नम्बर 778 है। इन खेतो में प्रार्थी के नाम 39/1792 हिस्सा की खातेदारी दर्ज है। इस खेत का विरासतन इन्काल संख्या 439 दर्ज करते समय पटवारी हल्का ने प्रार्थी का सही नाम फतेहचन्द पुत्र हुलाशराम की जगह फताराम पुत्र हुलास दर्ज कर दिया। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का खेत मोमासर खसरा नम्बर 1290 तादादी 8.1700 हैक्टेयर रोही मोमासर जिसके पुराने खसरा नम्बर 984 है, इस खेत में प्रार्थी का 1/80 हिस्सा दर्ज है। इस खेत का विरासतन इन्काल संख्या 440 दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम फतेहचन्द पुत्र हुलाशराम की जगह फताराम पुत्र हुलास दर्ज कर दिया। पटवारी हल्का ने उक्त खेत की खातेदारी में विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम दर्ज नही किया । खातेदारी में प्रार्थी का सही नाम दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 15:35:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

काफी परेशानी हो रही है। प्रार्थी किसी भी वितीय संस्था से अपनी कृषि भूमि पर ऋण सुविधा नहीं ले पा रहा है, ना किसान क्रेडिट कार्ड बना पा रहा है। उक्त खेतो की खातेदारी में प्रार्थी का नाम प्रार्थी के अन्य सरकारी दस्तावेज के अनुरूप नहीं होने से काफी परेशानी हो रही है । प्रार्थी का बोलता नाम फताराम पुत्र हुलास राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी का सही नाम फतेहचन्द पुत्र हुलासराम जाति नाई ही है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को कहा कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम अशुद्ध दर्ज है, जिसको शुद्ध कर प्रार्थी का सही नाम फतेहचन्द पुत्र हुलाशराम जाति नाई के नाम दर्ज कर दिया जावे तो अप्रार्थी ने दिनांक 29.09.2023 को कहा कि न्यायालय के आदेश लेकर आओ। तब प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थना पत्र श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है।प्रार्थना पत्र हर तरह से अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि खेत खसरा नम्बर 1028 तादादी 7.3200 हैक्टेयर रोही मोमासर, खसरा नम्बर 1038, 1039, 1040, 1041, 1042 1044 रोही मोमासर व खसरा नम्बर 1290 रोही मोमासर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम फतेहचन्द पुत्र हुलाशराम जाति नाई निवासी मोमासर दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 1028 तादादी 7.3200 हैक्टेयर रोही मोमासर, खसरा नम्बर 1038, 1039, 1040, 1041, 1042 1044 रोही मोमासर व खसरा नम्बर 1290 रोही मोमासर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के अशुद्ध नाम के स्थान पर सही नाम फतेहचन्द पुत्र हुलाशराम जाति नाई निवासी मोमासर दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनाक 27.8.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 15:05:13 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ